न्यायालय अवर न्यायाधीश प्रथम, लखीसराय।
दिवानी वाद संख्या– 78 / 2020

दयानंद सिंह वगैरह.....वादीगण।

बनाम्

बेचन यादव वगैरह.....प्रतिवादीगण।

23.03.2022

➢ वादी आज भी अनुपस्थित हैं। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर न तो वादी और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतएव वाद में आज ही आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

➢ अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा अन्य अनुतोषों के साथ इस अनुतोष हेतु भी संस्थित किया गया है कि न्यायालय यह घोषित करे कि इस वाद के वादीगण औपचारिक प्रतिवादीगण को अनुसूची 1 में अंकित संपत्ति पर एकांतिक स्वत्व एवं हित प्राप्त है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष को इससे कोई भी सरोकार नहीं है तथा वादी ने पुनः इस अनुतोष की भी मांग की है कि न्यायालय यह भी घोषित करे कि वादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2018 आदितः शून्य है तथा वादीगण एवं औपचारिक प्रतिवादीगण को इससे कोई भी सरोकार नहीं है, साथ ही उन्होंने इस अनुतोष की भी मांग की है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष को वादग्रस्त संपत्ति को अंतरित कर स्थायी आदेश के माध्यम से प्रतिषेध किया जाए।

➢ अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि प्रकरण वादी द्वारा न्यायशुल्क दाखिल हेतु नियत चला आ रहा है। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस वाद में न्यायालय द्वारा सिरिस्तेदार को प्रतिवेदन देने हेतु दिनांक–28.11.2020 को निर्देशित किया गया था। तदनुसार दिनांक–10.12.2020 को सिरिस्तेदार का प्रतिवेदन वादपत्र के पृष्ठ पर अंकित किया गया है तथा उसी कम में न्यायालय द्वारा वादी को अपेक्षित न्याय शुल्क दाखिल करने हेतु निर्देश दिया गया है, परंतु न्यायालय द्वारा वादी को कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी उन्होंने न्यायशुल्क आज तक दाखिल नहीं किया है, न्यायशुल्क नहीं दाखिल करने के कारण वाद में कई स्थगन भी दिया जा चुका है। कार्यालय लिपिक का यह प्रतिवेदन है कि आज तक वाद में न्याय शुल्क दाखिल नही किया गया है।

➢ विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि विधि जागरूकों की सहायता करती है, न की सोये हुए व्यक्तियों की। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। प्रस्तुत वाद स्वत्व वाद है तथा वादी को अपने वाद के प्रति हमेशा जागरूक होना चाहिए, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें वाद में दिलचस्पी नहीं रह गयी है। अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 व्य0 प्र0 सं0 के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। तदनुसार, प्रस्तुत वाद को आदेश 07 नियम 11 व्य0 प्र0 सं0 के अंतर्गत नामंजूर किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, प्रथम
लखीसराय।